रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 15, 2011/फाल्गुन 24, 1932

No. 132] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 15, 2011/PHALGUNA 24, 1932

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2011

सा.का.नि. 211(अ).—केन्द्रीय सरकार, लागत और संकर्म अकाउंटेंट अधिनियम, 1959 (1959 का 53) की धारा 29ग और धारा 29घ की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 38क की उप-धारा (2) के खंड (ङ) और (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत और संकर्म अकाउंटेंट क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते नियम, 2006 का संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत और संकर्म अकाउंटेंट क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते (संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. लागत और संकर्म अकाउंटेंट क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते नियम, 2006 में,—

(i) नियम 6 में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु जहां बोर्ड को संस्थान के किसी सदस्य से उसके द्वारा मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं होती है वहां बोर्ड, संस्थान से उस सदस्य से सूचना अभिप्राप्त करने का अनुरोध कर सकेगा और इसे बोर्ड को प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यह कि जहां बोर्ड को कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कम्पनी से उसके द्वारा मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं होती वहां बोर्ड सूचना अभिप्राप्त करने में सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से अनुरोध कर सकेगा ।"।

(ii) नियम 8 के उप-नियम (1) में, "बोर्ड" शब्द के पश्चात् "केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित सदस्यों से भिन्न" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iii) नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9. **यात्रा और भत्ते** .—(1) बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्य जब वे दौरे पर हों, निम्नलिखित प्रवर्ग के अनुसार यात्रा करने के हकदार होंगे, अर्थात् :—

(क) वायुयान द्वारा

(i) अध्यक्ष — बिजनेस क्लास द्वारा

(ii) सदस्य — इकोनामी क्लास द्वारा

(ख) रेल द्वारा वातानुकूलित प्रथम वर्ग

(ग) बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य जो सरकारी सेवक हैं उसी वर्ग द्वारा यात्रा करने के हकदार होंगे जो उनको केंद्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के अनुसार उनकी पदीय हैसियत में लागू हैं।

(2) **भत्ते**.—(i) बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य जो सरकारी सेवक नहीं हैं और जिनका निवास का स्थान वही है जो बैठक का स्थान है, बोर्ड के कृत्यों के संबंध में की गई स्थानीय यात्रा के लिए स्थानीय सवारी उपलब्ध कराई जाएगी या टैक्सी द्वारा, जिसके अंतर्गत वातानुकूलित कैब भी है, के लिए उपगत वास्तविक सवारी व्ययों की और अपनी कार का उपयोग करने की दशा में दस रुपए प्रति किलोमीटर की दर से प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

(ii) बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य निम्नलिखित दर पर दैनिक भत्ते के हकदार होंगे :

'क' वर्ग शहर	अन्य शहर
एक हजार रुपए प्रतिदिन	आठ सौ रुपए प्रतिदिन ।

(iii) बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य जो सरकारी सेवक हैं और जिनका निवास का स्थान वही है जो बैठक का स्थान है, बोर्ड के कृत्यों के संबंध में की गई स्थानीय यात्रा के लिए स्थानीय सवारी उपलब्ध कराई जाएगी या टैक्सी द्वारा, जिसके अंतर्गत वातानुकूलित कैब भी है, के लिए उपगत वास्तविक सवारी व्ययों की और अपनी कार का उपयोग करने की दशा में दस रुपए प्रति किलोमीटर की दर से प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

(iv) बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य जो सरकारी सेवक हैं उसी दैनिक भत्ते के हकदार होंगे जो उनको केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के अनुसार उनकी पदीय हैसियत में लागू हैं ।

(v) नियम 6 के अधीन बोर्ड द्वारा आमंत्रित विशेषज्ञ यदि वायुयान द्वारा यात्रा करते हैं तो इकोनोमी क्लास और यदि रेल द्वारा यात्रा करते हैं तो वातानुकूलित प्रथम वर्ग द्वारा यात्रा करने के हकदार होंगे और उप-नियम (2) की मद (ii) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट भत्ते के हकदार होंगे और उन्हें अध्यक्ष द्वारा अवधारित फीस का भी संदाय किया जाएगा जो उनको निर्दिष्ट किए गए प्रत्येक मामले पर सलाह के लिए पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।"।

[फा. सं. 2/23/2006-आईजीसी/पीआई]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 734(अ), तारीख 27 नवम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2011

G.S.R. 211(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (e) and (f) of sub-section (2) of Section 38A, read with Section 29C and sub-section (1) of Section 29D of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959), the Central Government hereby makes the following amendments in the Cost and Works Accountants Procedures of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and Allowances of the Chairperson and Members of the Board Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost and Works Accountants Procedures of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and Allowances of the Chairperson and Members of the Board (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost and Works Accountants Procedures of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and Allowances of the Chairperson and Members of the Board Rules, 2006,—

(i) In rule 6 after clause (c), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that where the Board does not receive the information called for by it from any Member of the Institute, the Board may request the Institute to obtain the information from such Member and furnish the same to the Board :

Provided further that where the Board does not receive the information called for by it from any company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Board may request the Central Government, the Ministry of Corporate Affairs for assistance in obtaining the Information.".

(ii) In rule 8, in sub-rule (1), after the "Board", the words "other than the Members nominated by the Central Government" shall be inserted;

(iii) for rule 9, the following shall be substituted, namely :—

9. **Travelling and other allowances.**—(1) The Chairperson and other Members of the Board, while on tour, shall be entitled to travel as per the following category, namely :—

"(A) By Air

(i) Chairperson	—	By Business Class
(ii) Members	—	By Economy Class

(B) By Train AC First Class

(C) The Chairperson and other Members of the Board who are Government servants shall be entitled to travel by the class as admissible to them in their official capacity as per Central Civil Services (Revised Pay), Rules, 2008.

(2) **Allowance.**—(i) The Chairperson and other Members of the Board who are not Government servants and whose place of residence is the same as the venue of the meeting, for local travels undertaken in connection with the Board functions, shall be provided local conveyance or shall be reimbursed the actual conveyance expenses incurred for travel by taxi including air-conditioned cab and in case they use their car, ten rupees per kilometer.

(ii) The Chairpeson and other Members of the Board shall be entitled for daily allowances at the following rate, namely :—

'A' Class Cities	Others Cities
Rupees one thousand per day	Rupees eight hundred per day.

(iii) The Chairperson and other Members of the Board who are Government servants whose place of residence is the same as the venue of the meeting, for local travels undertaken in connection with the Board functions, shall be provided local conveyance or shall be reimbursed the actual conveyance expenses incurred for travel by taxi including air-conditioned cab and in case they use their own car, rupees ten per kilometer.

(iv) The Chairperson and other Members of the Board who are Government servants shall be entitled to daily allowances as admissible to them in their official capacity as per Central Civil Services (Revised Pay), Rules, 2008.

(v) The experts invited by the Board under rule 6, shall be entitled to travel by economy class if travelling by air and by AC first class if travelling by train and shall be entitled to allowances as specified under item (ii) of sub-rule (2) and they may also be paid fees as may be determined by the Chairperson which shall not exceed five thousand rupees, for advice on each matter referred to them.".

[F. No. 2/23/2006-IGC/PI]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 734(E), dated the 27th November, 2006.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.